

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1057
दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डेंगू के बढ़ते मामले

1057. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत कुछ महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में डेंगू के बढ़ते मामलों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में डेंगू के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डेंगू की महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) देश में डेंगू जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) नामक एक व्यापक कार्यक्रम का संचालन करता है। यह अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नीति कार्यान्वयन योजना, दिशानिर्देश, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। डेंगू के आर्थिक बोझ और स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए राज्यों द्वारा राष्ट्रीय कार्यनीतियों को लागू किया जा रहा है।

वर्ष 2024 की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2025 के दौरान पिछले कुछ महीनों में देश में डेंगू के मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है और वर्ष 2024 और 2025 के लिए भारत में डेंगू के मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष/महीना | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर |
|------------|------|-------|-------|---------|---------|
| 2024 | 7212 | 27646 | 33463 | 43380 | 50154 |
| 2025 | 5952 | 10539 | 13990 | 19570 | 25083 |

(ख) वर्ष 2025 में डेंगू के कारण होने वाली मृत्यु दर (प्रति 100 मामलों में मृत्यु) में कमी आएगी। वर्ष 2025 में यह 0.07% होगी, जबकि 2024 में इसी अवधि में (अक्टूबर, 2024 तक) यह दर 0.13% रही।

(ग) भारत सरकार ने देश में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के माध्यम से रोग की स्थिति की नियमित निगरानी कर रहा है। समय पर कार्रवाई और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए राज्यों की स्थिति और तैयारियों की उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2025 के दौरान नौ समीक्षाएं आयोजित की गईं, जिनमें से दो समीक्षाएं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा की गईं।
- भविष्य में किसी भी प्रकोप से निपटने हेतु राज्यों को तैयारियों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए 2025 में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तेरह एडवाइजरी जारी की गई हैं।
- वास्तविक समय की निगरानी के लिए, राज्यों को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल-वेक्टर जनित रोग (आईएचआईपी-वीबीडी) पोर्टल पर डिजिटल रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- डेंगू की निगरानी और निःशुल्क निदान के लिए, देश भर में 869 प्रहरी निगरानी अस्पताल और 27 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं की पहचान की गई है। भारत सरकार राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे के माध्यम से सभी चिन्हित प्रयोगशालाओं को आईजीएम परीक्षण किट प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा लागत वहन की जा रही है। शीघ्र निदान के लिए एनएस 1 किट की खरीद हेतु राज्यों को पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है।
- राज्यों को कार्यान्वयन हेतु केस प्रबंधन, रोकथाम और नियंत्रण हेतु तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान किए गए।
- रोग की स्थिति का आकलन करने और राज्य को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्यों का क्षेत्रीय दौरा किया गया।
- डॉक्टरों को नैदानिक प्रबंधन और कीटविज्ञानियों को एकीकृत वेक्टर प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- समुदाय की जागरूकता के लिए, विभिन्न आईईसी कार्यक्रमलाप शुरू किए गए, जैसे पारस्परिक संचार, घरों और आसपास के वातावरण को मच्छरों के प्रजनन से मुक्त रखने पर ज़ोर देने वाले सोशल मीडिया

संदेशों का प्रचार प्रसार, 16 मई को 'राष्ट्रीय डेंगू दिवस' और जुलाई में डेंगू विरोधी माह का आयोजन, जिसमें आईईसी/बीसीसी गतिविधियाँ और उसके समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया गया। 14-27 नवंबर, 2025 तक आयोजित आईआईटीएफ के दौरान समुदाय को डेंगू की रोकथाम पर केंद्रित संदेश दिए गए।

- एनसीवीबीडीसी ने 16 मई, 2025 को 10वें राष्ट्रीय डेंगू दिवस के उपलक्ष्य में वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। समुदाय को जागरूक करने के लिए कुल छह वेबिनार आयोजित किए गए।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य वेक्टर जनित रोगों के साथ एकीकृत रूप से पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें डेंगू नियंत्रण गतिविधियाँ, जैसे कि केस प्रबंधन, वेक्टर नियंत्रण गतिविधियाँ, प्रशिक्षण सहायता, जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ आदि शामिल हैं।
